

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-जनवरी, फरवरी, मार्च, 2023

स्थापना आदेश, परिपत्र, निविदा फॉर्म आदि

कुल -46

[स्थापना आदेश-सं. 1 से 41, 1 शुद्धी पत्र, 1 कार्यालय आदेश, 3 निविदा कुल - 46]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं- 1/2023	03.01.2023	अनुवाद किया गया	CTB
2	आदेश सं- 2/2023	04.01.2023	अनुवाद किया गया	MK
3	आदेश सं- 3/2023	04.01.2023	अनुवाद किया गया	MK
4	आदेश सं- 4/2023	12.01.2023	अनुवाद किया गया	MK
5	आदेश सं- 5/2023	12.01.2023	अनुवाद किया गया	MK
6	आदेश सं- 6/2023	13.01.2023	अनुवाद किया गया	MK
7	आदेश सं- 7/2023	27.01.2023	अनुवाद किया गया	MK
8	आदेश सं- 8/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	CTB
9	आदेश सं- 9/2023	25.01.2023	अनुवाद किया गया	CTB
10	आदेश सं- 10/2023	07.02.2023	अनुवाद किया गया	CTB
11	आदेश सं- 11/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
12	आदेश सं- 12/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
13	आदेश सं- 13/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
14	आदेश सं- 14/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
15	आदेश सं- 15/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
16	आदेश सं- 16/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
17	आदेश सं- 17/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
18	आदेश सं- 18/2023	01.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
19	आदेश सं- 19/2023	07.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
20	आदेश सं- 20/2023	17.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
21	आदेश सं- 21/2023	17.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
22	आदेश सं- 22/2023	17.02.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
23	आदेश सं- 23/2023	28.02.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
24	आदेश सं- 24/2023	28.02.2023	अनुवाद किया गया	MK
25	आदेश सं- 25/2023	01.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
26	आदेश सं- 26/2023	01.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
27	आदेश सं- 27/2023	01.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
28	आदेश सं- 28/2023	01.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
29	आदेश सं- 29/2023	01.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
30	आदेश सं- 30/2023	01.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
31	आदेश सं- 31/2023	13.03.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
32	आदेश सं- 32/2023	03.03.2023	अनुवाद किया गया	CTB
33	आदेश सं- 33/2023	03.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
34	आदेश सं- 34/2023	03.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
35	आदेश सं- 35/2023	14.03.2023	अनुवाद किया गया	MK
36	आदेश सं- 36/2023	22.03.2023	अनुवाद किया गया	CTB
37	आदेश सं- 37/2023	24.03.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
38	आदेश सं- 38/2023	24.03.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
39	आदेश सं- 39/2023	24.03.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
40	आदेश सं- 40/2023	24.03.2023	अनुवाद किया गया	AAIP
41	आदेश सं- 41/2023	28.03.2023	अनुवाद किया गया	CTB
42	आदेश सं-128 दि.30.12.2022 का शुद्धी पत्र	02.01.2023	अनुवाद किया गया	CTB
43	कार्यालय आदेश	13.02.2023	अनुवाद किया गया	CTB

MK-27

CTB-12

AA TP-7

निविदा

क्रम सं	निविदा संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति- 5 स्टार एसी	09.03.2023	अनुवाद किया गया	CTB
2	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति-एलईडी वाल	13.03.2023	अनुवाद किया गया	CTB
3	प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति-जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवा	24.03.2023	अनुवाद किया गया	CTB



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-ESTT

दिनांक: 28.03.2023

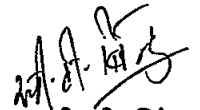
आदेश सं.: 41 / 2023

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आशुलिपिक ग्रेड - II की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

आशुलिपिक ग्रेड - II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (कुम.)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	मीनाक्षी रोहिल्ला	07.07.1999	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / लेखा परीक्षा

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी /, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी /, प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) / हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/11/1/2020-Estt

दिनांक: 22.03.2023

आदेश सं.: 40/2023

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 -Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित कर सहायकों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

1.	किरण जी पिल्लै	14.10.1990	03.10.2022
2.	निबिन पुन्नूस आइप	23.06.1996	30.07.2022
3.	अखिला प्रकाश	03.08.1993	02.09.2022
4.	गायत्री अनिल	06.09.1992	03.08.2022
5.	जितिन जोसफ	16.02.1993	01.09.2022
6.	प्रतिष्ठा सिंह	30.07.1993	03.09.2022
7.	रवीन्द्र प्रताप सिंह	20.06.1992	14.09.2022
8.	सुगंधा कुमारी	28.03.1996	27.11.2022
9.	सुशांत गोदरा	02.12.1992	08.09.2022
10.	हिमांशु रंजन सिंह	29.05.1994	11.09.2022
11.	सचिन बाबु एस	07.08.1992	30.07.2022
12.	पिनाज़ पी एम	19.04.1992	07.10.2022
13.	निलाद्री शेखर दास (इस्तीफा दे दिया)	29.01.1993	14.09.2022

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

अन्वर अली

[अन्वर अली टी पी]

अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा
3. आयकर अपर आयुक्त (मुख्यालय)(प्रशा.),बिहार एवं झारखण्ड क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
2. अधीक्षक(गोप./सत.)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/11/2/2020-Estt

दिनांक: 22.03.2023

आदेश सं.:39/2023

विषय : आशुलिपिक ग्रेड - II की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं. 28020/3/2018 -Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय जापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रेड -II श्रेणी के आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	आशीष कुमावत	16.03.1994	26.08.2022
2.	दीपक कुमार	05.12.1996	25.08.2022
3.	रेणु यादव	15.01.1995	27.08.2022
4.	अंकित कुमार	13.06.1996	18.02.2023

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

अनवर अली

[अनवर अली टी पी]

अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]
 प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /तिरुवनंतपुरम
- सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

प्रति

- मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
- अधीक्षक(गोप./सत.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOMII/(3)/32/2020-Estt

दिनांक: .03.2023

आदेश सं.: 38/2023

विषय: हेड हवलदार के केडर में हवलदार की पदोन्नति - संबन्धित।

निम्नलिखित हवलदारों को अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय, ग्रूप 'सी' हेड हवलदार के केडर में, वेतन मेट्रिक्स में स्तर -2 में (19,000 -63,200 रुपये) और भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत भत्तों सहित उच्च पद में कार्यग्रहण कर लेने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है ।

क्रम सं	नाम(श्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान आयुक्तालय
1	पी कमरुद्दीन	9212	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि

2. उपर्युक्त अधिकारी दिनांक 03.04.2023 तक पदोन्नत पद में कार्यग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा उच्च पद में उनकी पदोन्नति को रद्द समझा जाएगा । इनकार, यदि कोई हो, उसे तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त अधिकारी नए पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का ज्ञा. दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें ।

कार्यग्रहण करना /कार्यग्रहण नहीं करना संबन्धित नियंत्रण अधिकारी / संबन्धित अधिकारी अधिकारी द्वारा जारी अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 06.04.2023 तक भेज देनी चाहिए।

अन्वर अली टी पी

[अन्वर अली टी पी]

अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि

7. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सी सी पी, कोचिन
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सी सी पी, कोचिन
3. अधीक्षक(सत. /गोपनीय), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/लेखा परीक्षा, कोच्चि/ सी सी पी, कोचिन
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/3/36/2022-Estt.

दिनांक: .03.2023

स्थपाना आदेश सं.: 37 /2023

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. THIRUVANANTHAPURAM GST & CX/CCO & CCA/
STENOGRAPHER -II/76886)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) - आशुलिपिक ग्रेड- II परीक्षा, 2020 के माध्यम से
आशुलिपिक ग्रेड- II के ग्रेड में नियुक्ति -- संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/04/2020-Ad.III(B) दिनांक 24.11.2022 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, कु.मीनाक्षी रोहिल्ला को, ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित के वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक 20.07.2023 (पूर्वाहन) से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. कु.मीनाक्षी रोहिल्ला को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कु.मीनाक्षी रोहिल्ला विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(अन्वर अली टी पी)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु.मीनाक्षी रोहिल्ला,
सुपुत्री सतीश कुमार,
टाइप 3/7 उत्तर पश्चिम,
मोती बाग,
नई दिल्ली - 110021

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक (मुख्यालय/सतर्कता) , केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File.No.II(25)/38/2020-ESTT.

दिनांक: .03.2023

आदेश सं.: 36/2023

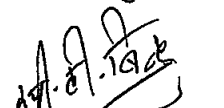
विषय : श्री रॉय जोस, अधीक्षक, सीजीएसटी मु., तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय के संबंध

में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48(1)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि श्री रॉय जोस, अधीक्षक, सीजीएसटी मुख्यालय, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय को दिनांक 22.02.2023 को अपने अभ्यावेदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन 31.03.2023(अपराहन) से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

2. यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता में ढील देने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, इस शर्त के अधीन कि सरकारी कर्मचारी 22.05.2023 (यानी, तीन महीने की नोटिस की अवधि की समाप्ति की तारीख) से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। इस आशय का एक वचनपत्र अधिकारी द्वारा तुरंत इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. श्री रॉय जोस, अधीक्षक के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है


(सी टी बिंदु)

उप आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्री रॉय जोस,

अधीक्षक,(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

सीजीएसटी मु. तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

2. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

प्रतिलिपि

1. अपर आयुक्त, (का.व सत.), तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।

2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

3. प्र.अधिकारी (डी डी ओ), तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

4. अधीक्षक (गोप./सत.), तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम/ केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु

6. सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT दिनांक: .03.2023
आदेश सं.: 35/2023

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में
स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का
आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	श्रीहरी के	20.06.1997	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि में तैनाती के आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 3
2.	नोएल ई वी	11.03.1999	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि में तैनाती के आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 6
3.	शिवी मोदी	10.04.2000	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि में तैनाती के आदेश के तहत	लेखा परीक्षा, मु.कोच्चि

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर 17.03.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक 20.03.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
2. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि के अनुभागों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
5. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

दिनांक: .03.2023

आदेश सं.: 34 / 2023

**विषय : केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में कल्पित पदोन्नति-
संबन्धित।**

श्री गोपीनाथ एन पी, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को इसके द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में (पूर्व-संशोधित स्केल में वेतन बैंड 9300-34,800, ग्रेड वेतन - रु.4800 /- (पीबी-2) के अनुरूप) और लागू होने वाले भत्ते में नियमित आधार पर केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' पद के अधीक्षक के संवर्ग में दिनांक 01.06.2020 से और अगले आदेश तक काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है। अधीक्षक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता श्री जिजी सिरियक के ठीक नीचे और श्री मनोज एम के ऊपर दी गई है।

2. अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर डीओपीटी ओएम दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के संदर्भ में वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

3. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षकों की पदोन्नति उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2012 के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा ओपी(कैट) सं.4305/2011, ओपी(कैट) सं.999/2012, ओपी(कैट) सं.998/2012, ओपी(कैट) सं.968/2012, कैट(ई बी) में ओ.ए.सं.180/00806/2014 में दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 और संबंधित न्यायालयों/ अधिकरणों में किसी भी अन्य लंबित मामलों के परिणाम के अध्यधीन है।

(मनीष कुमार)

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT

दिनांक: .03.2023

आदेश सं.: 33/2023

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में
स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का
आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	विष्णु एम पिल्लै	24.01.1994	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	सीसीओ-सीसीए
2.	अंजना के	22.01.1998	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
3.	अक्षय के	22.12.1995	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
4.	अभय पी एस	04.08.1997	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	सीसीओ-सीसीए
5.	श्रीहरी के	20.06.1997	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
6.	हिमा के	09.02.1994	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
7.	नोएल ई वी	11.03.1999	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
8.	मोहियद्दीन के	12.02.1991	सीजीएलई 2020 नेई	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय

			भर्ती	उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
9.	राहित ए	30.05.1996	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
10.	अरविंद एस	28.04.1995	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
11.	शिवी मोदी	10.04.2000	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
12.	अनीष जी एस	20.05.1992	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
13.	श्रीराग एस ए	15.11.1996	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
14.	राम मोहन मीना	11.01.1999	सीजीएलई 2020 नेई भर्ती	सीसीओ-सीसीए
15.	रवींद्र मारुती पालकर	16.08.1982	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि

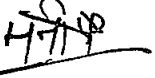
2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर 10.03.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. लेखा परीक्षा एवं डीआरआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दिनांक 13.03.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |


[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमाशुल्कनिवारक/ लेखापरीक्षा, कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइटमें अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

दिनांक: 02.03.2023

आदेश सं.: 32 / 2023

विषय : आशुलिपिक श्रेणी-II - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

आशुलिपिक श्रेणी- II की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	अनिरुद्ध ए	23.09.1995	कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय (अपर आयुक्त सीसीओ/निवारक एवं का.व सत.का आशुलिपिक श्रेणी- II)

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बन्धित व्यक्ति (सम्बन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(11)/5/2021-Estt

दिनांक: .02.2023

आदेश सं.:31/2023

विषय : निरीक्षक की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से निरीक्षक की श्रेणी में स्थाई बनाई गई हैं : -

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	स्थायीकरण की तिथि
1.	रवीश पाठक	26.07.1993	26.07.2020
2.	सुमीत शोरन	29.08.1993	26.07.2020
3.	पडाला प्रवीण	12.07.1991	26.07.2020
4.	यादव पुनीत सुभाष	21.11.1991	26.07.2020
5.	अरविंद यादव	07.12.1992	26.07.2020
6.	वैशाखन वी एस	28.07.1989	30.10.2022
7.	जतिन टी जोसफ	14.09.1994	15.09.2022
8.	संदीप एस मेनोन	11.07.1991	15.09.2022
9.	जयवीर यादव	10.03.1993	15.09.2022
10.	सुब्रत अग्रवाल	20.05.1996	15.09.2022
11.	आदर्श कुमार	05.12.1994	22.10.2022
12.	आदर्श के दास	30.04.1993	01.01.2023
13.	दीपक सिंह टोनी	08.06.1991	15.09.2022
14.	सुमीत कुमार वाष्ण्य	01.11.1987	15.09.2022
15.	हर्षित तिवारी	03.09.1993	15.09.2022
16.	प्रीतम कुमार झा	01.09.1992	15.09.2022
17.	अवनीश पाण्डेय	08.07.1996	21.10.2022
18.	सोनावने विशाल कैलास	21.11.1991	15.09.2022
19.	सतनाम सिंह	25.08.1994	15.09.2022

20.	अंकित तिवारी	10.07.1994	15.09.2022
21.	जोस टॉम के	27.07.1989	08.10.2022
22.	शुभम शर्मा	13.08.1995	15.09.2022
23.	दिव्यांश केसरवाणी	26.08.1995	15.09.2022
24.	पवन शुक्ला	29.06.1997	15.09.2022
25.	प्रवीण पी अगस्टिन	19.06.1991	15.09.2022
26.	अंकित गुप्ता	30.10.1991	15.09.2022
27.	अखिल एस नायर	02.10.1990	09.11.2022
28.	मिधुन ए	01.01.1987	14.12.2022
29.	विष्णु सत्यन	10.05.1990	15.09.2022
30.	एम शिवकुमार कालीदास	13.08.1990	08.01.2023
31.	सुहास के रमेश	14.10.1992	28.10.2022
32.	अभिजीत मोहन	29.08.1992	15.09.2022
33.	धर्मेन्द्र वर्मा	27.11.1993	29.12.2022
34.	कुनिबिल्लि राजेश	11.05.1993	20.10.2022
35.	मुडिराज अनिल कुमार	21.10.1990	15.10.2022
36.	दत्ति अशोक कुमार	18.06.1989	13.10.2022
37.	सोहन लाल जाट	01.02.1991	30.12.2022
38.	बालकिशन	02.02.1993	03.11.2022
39.	अनिरुद्ध सिंह	09.02.1996	15.09.2022
40.	नवराज कुमार सोनी	28.02.1995	15.09.2022
41.	डी वासवी	23.01.1994	15.09.2022
42.	गोकुल एस	20.07.1992	23.10.2022
43.	दब्लियू आर अन्बु मतिका	08.08.1994	22.10.2022
44.	के एम मनीष	16.02.1991	23.10.2022
45.	संदीप सिंह	21.03.1996	15.09.2022
46.	शोभित कुमार	24.01.1995	22.09.2022
47.	विक्रान्त कुमार वर्मा	09.02.1993	15.09.2022
48.	भवनीश आज़ाद	08.08.1996	04.01.2023
49.	कृष्णकांत रंगोलिया	29.06.1992	22.09.2022
50.	राज खुंगुर बसुमतरी	27.12.1986	15.09.2022
51.	राज कुमार मुंडा	20.08.1992	30.10.2022
52.	नेहा मीना	19.09.1996	15.09.2022
53.	रामसागर मीना	08.07.1996	15.09.2022
54.	डिबिन बाबु के जॉनसन के जॉर्ज	25.04.1989	15.09.2022
55.	रमजान खान	07.08.1991	15.09.2022

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

3. यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

अन्वर अली

[अन्वर अली टी पी]

अपर आयुक्त [का.व सत.]

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/अपील/लेखा परीक्षा (कोच्चि).
2. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
3. केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक(गोप./सत.)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. अधीक्षक(ईडीपी),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 30 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77590)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री मोहियद्दीन के को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 14.02.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री मोहियद्दीन के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री मोहियद्दीन के स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

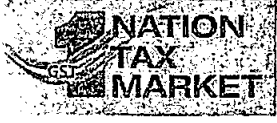
श्री मोहियद्दीन के,
कल्लन हाउस,
एक्करा, मराक्करा डाक,
मलप्पुरम - 676553

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 29 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77600)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति-संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जन जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री राम मोहन मीना को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 10.02.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री राम मोहन मीना को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री राम मोहन मीना स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राम मोहन मीना,
सुपुत्र लखन लाल मीना,
गाँव -मनेमा, डाक -कत्कड़, तहसिल -हिन्दौन, जिला -करौली,
राजस्थान -322234

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 28 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77585)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अभय पी एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 08.02.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अभय पी एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अभय पी एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अभय पी एस,

अभयम, पारोल,

अरियल्लूर डाक,

मलप्पुरम - 676312

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 27 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77589)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री नोएल ई वी को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 06.02.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री नोएल ई वी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री नोएल ई वी स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री नोएल ई वी,

वयलिकल हाउस,

कुन्नोत, किलियन्तरा डाक,

कण्णूर - 670706

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 26 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77596)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अनीष जी एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 06.02.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अनीष जी एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में सुसंगत डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अनीष जी एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री अनीष जी एस,

कियक्के कान्जिरक्कडवु वीडु, मचियोडु, वलतन्करा डाक,
चेंकल गाव, नेय्याट्टिनकरा, तिरुवनंतपुरम -695134

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 25 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77584)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री.अक्षय के को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 02.02.2023 (पूर्वाह्न) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री.अक्षय के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री.अक्षय के स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री.अक्षय के,
 कडाशेरी हाउस,
 चेट्टीपडी डाक,
 मलप्पुरम - 676319

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

स्थापना आदेश सं.: 24 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77588)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, कु.हिमा के को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 01.02.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 कु.हिमा के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परीवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परीवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परीवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परीवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परीवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परीवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कु.हिमा के स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परीवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

कु.हिमा के,
नीलान्चेरी हाउस,
मनालया डाक,
मलप्पुरम - 679357

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/72/2021-Estt.

दिनांक: .02.2023

आदेश सं.: 23 /2023

विषय :आश्वासित आजीविका बढ़त योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करना - सं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 35034/1/97-Estt(D) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने सूचित दिनांक से आश्वासित आजीविका बढ़त योजना के तहत वित्तीय उन्नयन इस के साथ प्रदान किया जाता है।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री /श्रीमती	पहला /दूसरा वित्तीय उन्नयन	..तारीख जिससे वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है	वेतन स्केल जिसकी सिफारिश की गई है(5वें सीपीसी के अनुसार)	6वें सीपीसी में रिप्लेसमेंट स्केल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शाजि जॉन, अधीक्षक (अब संयुक्त आयुक्त)	प्रथम	25.09.2007	रु.8000-275- 13500	वेतन बैंड -3 (रु.15600- 39100)+5400 का ग्रेड वेतन

2. अधिकारी अपने वेतन निर्धारण के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफ.आर.22(1)ए(1) के तहत उच्च वेतनमान में वेतन निर्धारण के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। ऐसे विकल्प का एक बार प्रयोग करने के बाद उसे अंतिम माना जाएगा।

3. यह केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनवर अली टी पी
(अनवर अली टी पी)

अपर आयुक्त(का.व सत.)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति(संबंधित अधिकारी के माध्यम से)

प्रति प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

- वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता), मुख्यालय कोच्चि/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) मु. कोच्चि

3. अधीक्षक (ई डी पी), मु. कोच्चि - आयुक्तालय के वेबसाइट में ए सी पी आदेश अपलोड करने के लिए अनुरोध के साथ



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/3/36/2022-Estt.

दिनांक: 17.02.2023

स्थपाना आदेश सं.: 22 /2023

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग - आशुलिपिक ग्रेड -II परीक्षा ,2020 के माध्यम से

आशुलिपिक ग्रेड - II के श्रेणी में नियुक्ति - संबन्धित ।

इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्ति के लिए पत्र फा.सं. A-12034/SSC/04/2020-Ad.III(B) दिनांक 24.11.2022 के अनुसार मंत्रालय द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अनिरुद्ध ए को, (जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी श्रेणी) से संबंधित है और और अनारक्षित (यूआर)श्रेणी के तहत आवंटित है) ऐसे भत्ते, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु.25,500- रु.81,100) में दिनांक 17.02.2023 (पूर्वाहन) से उसके चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की शर्तों पर अस्थायी तौर पर केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आशुलिपिक ग्रेड - II के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2. श्री अनिरुद्ध ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अनिरुद्ध ए विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(Handwritten signature)

(अन्वर अली टी पी)

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अनिरुद्ध ए,
सुपुत्र अनंतकृष्णन वी,
कुंचिरापरम्बिल हाउस,
पल्लतेरी डाक,
केरल - 678007

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक, मुख्यालय/सतर्कता /तकनीकी अनुभाग, मुख्यालय, कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), मु. कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/46/2020-ESTT.

दिनांक: .02.2023

आदेश सं.: 21/2023

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क निरीक्षक के संवर्ग में कल्पित पदोन्नति- संबन्धित।

श्री एन पी गोपीनाथ को, जिन्हें दिनांक 30.04.2012 के आदेश संख्या 50/2012 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नत किया गया था, नियमित आधार पर 9,300-34,800 (पीबी-2) के वेतन बैंड में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, समूह ख के संवर्ग में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है। निरीक्षक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता, दिनांक 29.01.2015 को प.सं. II/34/6/2014 Estt द्वारा प्रकाशित की गई वरिष्ठता सूची में श्री जिजी सिरियक के ठीक नीचे और श्री मनोज एम से ऊपर दी गई है।

2. अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से पूर्व कल्पित पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के बकाया, यदि कोई हो, का हकदार है।

3. अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर डीओपीटी ओएम दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के संदर्भ में वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. निरीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2012 के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 और संबंधित न्यायालयों/ अधिकरणों में किसी भी अन्य लंबित मामलों के परिणाम के अध्यधीन है।

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/36/2020-ESTT.

दिनांक: .02.2023

आदेश सं.: 20/2023

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में कल्पित पदोन्नति-संबन्धित।

श्रीमती पी जयश्री को, जिन्हें दिनांक 20.07.2012 के आदेश संख्या 96/2012 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नत किया गया था, नियमित आधार पर 9,300-34,800 (पीबी-2) के वेतन बैंड में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, समूह ख के संवर्ग में काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाता है। अधीक्षक संवर्ग में उनकी वरिष्ठता, दिनांक 01.01.2014 को प.सं. II/34/5/2014 Estt द्वारा प्रकाशित की गई संशोधित वरिष्ठता सूची में श्री सी सुरेश बाबू के ठीक नीचे और श्री मोहनदास के आर से ऊपर दी गई है।

2. अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से पूर्व कल्पित पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के बकाया, यदि कोई हो, का हकदार है।

3. अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर डीओपीटी ओएम दिनांक 26.09.1981 और 05.07.1999 के संदर्भ में वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. अधीक्षक के ग्रेड में निरीक्षक की पदोन्नति उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2012 के आदेश के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 और संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में किसी भी अन्य लंबित मामलों के परिणाम के अध्यधीन है।

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT

दिनांक: .02.2023

आदेश सं.: 19 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में
 स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

आदेश संख्या 06/2023 दिनांक 13.01.2023 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	पोतुराजु शिवप्रसाद	23.05.1990	रेंज 3, एर्णाकुलम मंडल को स्था.आदेश के तहत	रेंज 4, एर्णाकुलम मंडल
2.	पद्मराजन नम्बियार सी	09.05.1971	रेंज 4, एर्णाकुलम मंडल	रेंज 3, एर्णाकुलम मंडल

2. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभार मुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को उनके नए तैनात स्थान पर दिनांक 10.02.2023 तक कार्यग्रहण करना है। अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. अपने तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा।

4. दिनांक 13.02.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें।

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

दिनांक: .01.2023

आदेश सं.: 18 /2023

विषय : केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मैट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' पद, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	लिजिन के कमल	20.04.1980
2	श्री बाबु (अस्थि विकलांग)	06.04.1985

2. उपर्युक्त अधिकारियों को दिनांक 01.02.2023 को या उसके बाद तथा दिनांक 10.02.2023 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए।

3. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011, OP(CAT)सं.999/2012, OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT)सं.968/2012, कैट (ई.बी.)में OASं.180/00806/2014में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 13.02.2023 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

प्रति :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 17 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77597)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री श्रीराग एस ए को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 20.01.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री श्रीराग एस ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री श्रीराग एस ए स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री श्रीराग एस ए,

13/289, श्रीरागम, आराट्टुतरा डाक, मानंतवाडी,

वायनाड - 670645

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 16 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77594)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

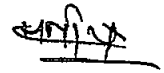
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.शिवी मोदी** को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **20.01.2023 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 **कु.शिवी मोदी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.शिवी मोदी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।



(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

कु.शिवी मोदी,
सुपुत्री रवि मोदी,
तहसिल-साईपाव, जिला -धोलपुर,
राजस्थान -328027

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 15 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77593)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

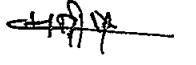
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री अरविंद एस को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 27.01.2023 (पूर्वाह्न) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री अरविंद एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री अरविंद एस स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।


(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अरविंद एस,
ऐश्वर्या, के पी 8/731,सूर्या लेन, पातिरापल्ली,
कुडप्पनकुन्नु डाक, तिरुवनंतपुरम -695043

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 14 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77591)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री राहित ए को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 20.01.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री राहित ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री राहित ए स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्ति अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत

या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

मनीष

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री राहित ए,

चारुविला वीडु,चेरुन्नियूर डाक,

वर्कला, तिरुवनंतपुरम -695142

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 13 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77587)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री श्रीहरी के को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 20.01.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री श्रीहरी के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री श्रीहरी के स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री श्रीहरी के,

श्री, मतिराट, कुट्टियिलतायम,

पोक्कुन्नु डाक,

कोयिककोड - 673007

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 12 / 2023

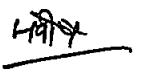
(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77583)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, कु.अंजना के को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 25.01.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

2 कु.अंजना के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय जापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कु.अंजना के स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।


(मनीष कुमार)
आयुक्त

सेवा में,

कु.अंजना के,

कन्नमप्रात हाउस,

एलंगोड डाक, पानूर,

तलशेरी, कण्णूर - 670692

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

दिनांक: .01.2023

स्थापना आदेश सं.: 11 / 2023

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएस/सीसीओ व सीसीए/निरीक्षक/77582)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सी जी एल ई 2020' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 19.01.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/01/2020 -Ad.III.B दिनांक 05.12.2022 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, श्री विष्णु एम पिल्लै को केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक 20.01.2023 (पूर्वाहन) से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है।

2 श्री विष्णु एम पिल्लै को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि,।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में श्री विष्णु एम पिल्लै स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

(मनीष कुमार)

आयुक्त

सेवा में,

श्री विष्णु एम पिल्लै,

अद्विवाट्टु पुत्तन वीडु,

मेलकुलन्गरा, वयकल डाक,

कोल्लम - 691548

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B)), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक (गोपनीय-सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
8. अधीक्षक (ई.डी.पी.) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

दिनांक: .01.2023

आदेश सं.: 10 / 2023

विषय : - हेड हवलदार की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हेड हवलदार की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	...से	... को
1	साजन वी जी	3212	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि(मु.कोच्चि)
2	उष्णिक्कृष्णन एम टी	5020	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
- सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
3. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/5/2023-Estt

दिनांक: 24.01.2023

आदेश सं.: 9 / 2023

विषय : सहायक प्रबंधक व स्टोरकीपर- केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
 आयुक्तालय की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

सहायक प्रबंधक व स्टोरकीपर की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	विमल चंद्रन	25.07.1973	विभागीय कैंटीन, मु.कोच्चि	विभागीय कैंटीन, एर्णाकुलम मंडल

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बन्धित व्यक्ति (सम्बन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. उप आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल

2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि

3. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

दिनांक: 24.01.2023

आदेश सं.: 8 / 2023

विषय : आशुलिपिक श्रेणी-I - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

आशुलिपिक श्रेणी- I की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ से दिया जाता है।

क्र. सं.	नाम (कुमारी)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	...को
1	के एम नर्गिष जहान	25.12.1995	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का. व सत.]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रतिलिपि

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), सीसीपी, मु.कोचिन
3. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं. II(3)/APPT/25/2020-ESTT.

दिनांक: .01.2023

आदेश सं.: 07/2023

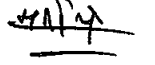
विषय : केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को, ऐसे भत्ते, जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये (वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मैट्रिक्स स्तर - 8 में, ग्रुप 'बी' पद, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीट आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि
1	षिनोज पी	17.04.1982
2	षानिमा ए आर	30.05.1989
3	मणिकंठन वी	15.05.1973
4	शुभा एच एस	21.05.1972
5	विल्लियम्स एम ए	08.03.1973
6	मनोज कुमार यादव	04.07.1982
7	हरिप्रसाद ए के	01.06.1972
8	दिलीप कुमार	01.03.1980
9	विक्रमादित्य कुमार	17.10.1982
10	जिनेश के	07.11.1974
11	राखी नायर	12.06.1976
12	राजेश कुमार	31.12.1980
13	वीरेंद्र कुमार	01.10.1979
14	अजिता कुमारी के एस	30.05.1973
15	अशोक कुमार	08.09.1980
16	मिराज के के	20.05.1972
17	नवीन कुमार	04.10.1986
18	षिबु वी एल	25.05.1975

2. उपर्युक्त अधिकारियों को तत्काल तथा दिनांक 31.01.2023 तक उच्च पद ग्रहण करना चाहिए।

3. अधीक्षक की श्रेणी में निरीक्षक की पदोन्नति 28.03.2012 के OP(CAT)सं.4305/2011,OP(CAT)सं.999/2012,OP(CAT)सं.998/2012, OP(CAT) सं.968/2012,कैट (ई.बी.)में OAसं.180/00806/2014में जारी उच्च न्यायालय आदेश तथा संबंधित न्यायालय /अधिकरण के अन्य लंबित केसों के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर किए गए SLP No.20810/ 2012के निर्णयों के फलस्वरूप होगी।
4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 03.02. 2023 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।



[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
4. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डी जी जी आई /डी आर आई आंचलिक इकाई ,कोच्चि
7. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप/सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड / सीसीपी / ले.प., कोच्चि में कार्यरत उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी,केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि /तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/सीसीपी/ ले.प.,कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक(सत. /गोपनीय),कोच्चि/ कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ सीसीपी/ ले.प.
11. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT

दिनांक: .01.2023

आदेश सं.: 06 / 2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में
 स्थानांतरण एवं तैनातियां - संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 04/2023 दिनांक 12.01.2023 के जारी होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री /श्रीमती	जन्म तिथि	...से	... को
1.	देवस्सी वी पी	21.04.1964	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	आलुवा मंडल
2.	अखिल टी के	17.04.1991	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	तकनीकी अनुभाग,मु.कोच्चि
3.	जेकब जोसफ	02.06.1986	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	समीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि
4.	पोतुराजु शिवप्रसाद	23.05.1990	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 3
5.	भास्करनाथ	05.08.1987	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि
6.	कपिल देव सुरीरा	16.04.1983	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	वंडीपेरियार रेंज, इडुक्की मंडल
7.	प्रिया के एम	17.03.1979	तकनीकी अनुभाग,मु.कोच्चि	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उचित कार्यभार मुक्ति /सौंपना नोट परस्पर सौंपने के बाद ही अधिकारी को कार्यभारमुक्ति दें ताकि शांत परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों को उनके नए तैनात स्थान पर दिनांक 23.01.2023 तक कार्यग्रहण करना है। अधिकारियां निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. अपने तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी से कोई अभ्यावेदन नहीं लिया जाएगा।

4. दिनांक 25.01.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें।

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2021-ESTT

दिनांक: .01.2023

आदेश सं.: 05/2023

विषय : - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में
स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	दिलीप कुमार	01.03.1990	सीसीओ-सीसीए	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2.	विक्रमादित्य कुमार	17.10.1982	सीसीओ-सीसीए	केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर 16.01.2023 तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी जिम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4.यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. दिनांक 18.01.2023 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[मनीष कुमार]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील, कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमा शुल्क निवारक/ लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप/सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT

दिनांक: 01.2023

आदेश सं.: 04/2023

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के आधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	सुनिल कुमार के	31.05.1971	पदोन्नति पर	एसीसी(आई व ई), तिरुवनंतपुरम, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया
2.	बीना ए	06.04.1972	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया
3.	अरुण आर	21.12.1985	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया
4.	अरुणकुमार ए विजयन	21.08.1986	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, करिपूर, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन में ही रखा गया पुरम
5.	कविता एल	21.11.1972	पदोन्नति पर	विमान पत्तन, तिरुवनंतपुरम, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,

				कोचिन में ही रखा गया
6.	अखिल टी के	17.04.1991	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
7.	टी शेशु वेंकट कांत	16.03.1990	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
8.	मनीष कुमार खटाना	19.12.1992	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
9.	जेकब जोसफ	02.06.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
10.	पोतुराजु शिव प्रसाद	23.05.1990	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
11.	भास्करनाथ	05.08.1987	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
12.	कपिल देव सुरीरा	16.04.1983	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
13.	सीना ए मालेत	09.01.1973	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
14.	मिनिमोल टी	03.05.1971	कोयिककोड आयुक्तालय	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड
15.	अजयकुमार के पी	11.05.1970	सीसीओ-सीसीए (डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई से वापसी पर)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
16.	वल्सलाकुमारी आर	31.05.1967	सेज़ ट्रिवेनड्रम से प्रत्यावर्तन पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
17.	सुगुणन एन	25.03.1970	सेज़ कोल्लम से प्रत्यावर्तन पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
18.	जोस्सी जोसफ	06.04.1969	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई
19.	देवस्सी वी पी	21.04.1964	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, कोच्चि
20.	मोहम्मद मुशरफ़ रेज़ा	24.09.1981	केंद्रीय कर और केंद्रीय	डीजीजीआई कोच्चि

			उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय,कोच्चि	आंचलिक इकाई (दि.31.03.2023 के बाद कार्यभर से मुख करना है)
--	--	--	-----------------------------------	--

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को अपने नए स्थान पर **23.01.2023** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

4.लेखा परीक्षा एवं डीजीजीआई कार्यालयों में तैनात अधिकारियों के संबंध में, नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया जा रहा है, वे अपनी राहत की तिथि को सतर्कता दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

6.यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

7. दिनांक **25.01.2023** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय,कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त
8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ सीमाशुल्कनिवारक/लेखापरीक्षा,कोच्चि
9. मुख्यलेखाअधिकारी / वेतनएवंलेखाअधिकारी,केन्द्रीयकरकेन्द्रीयउत्पादशुल्क,कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/सीसीपी/लेखा परीक्षा
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि /कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम /सीसीपी/ लेखा परीक्षा
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

दिनांक: 04.01.2023

आदेश सं.: 3/2023

विषय: केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक
 आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

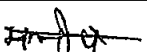
आदेश संख्या 89/2022 दिनांक 13.10.2022 के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तन का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है:

2. श्री अनिल राज आर., उप आयुक्त लेखा परीक्षा, समीक्षा एवं कर बकाया वसूली का प्रभार दिया गया है। श्रीमती माया चंद्रन, सहायक आयुक्त को सत्यापन कक्ष, विधिक, सूचना अधिकार (केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी), प्रशिक्षण, एसवीएलडीआएस, जी एस टी कक्ष एवं डीजीएआरएम का प्रभार दिया गया है। श्रीमती सी टी बिंदु, उप आयुक्त को अपवंचनरोधी, मुख्यालय एवं मुकदमा का प्रभार दिया गया है। श्री हारिसण एंटणी, उप आयुक्त को एर्णाकुलम मंडल का प्रभार दिया गया है।

3. तदनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	प्रशासन, का.व सत., सी आर यू. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, न्यायनिर्णयन, सिस्टम्स, अपवंचनरोधी, मुख्यालय एवं मुकदमा	माया चंद्रन	अनिल राज आर
2	शांति वी	आलुवा मंडल,	माया कुरियन	अजिता पी.
		तकनीकी, संसद प्रश्न, आरएफ़डी एवं सांख्यिकी	अनिल राज आर	सी.टी. बिंदु
3	माया चंद्रन	सत्यापन कक्ष, विधिक, सूचना अधिकार (केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी), प्रशिक्षण,	सी.टी. बिंदु	शांति वी

		एसवीएलडीआएस, जी एस टी कक्ष एवं डीजीएआरएम		
4	अनिल राज आर	लेखा परीक्षा, समीक्षा, कर बकाया वसूली,	शांति वी	माया चंद्रन
5	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	अजिता पी	माया कुरियन
6	अजिता पी	काक्कनाड़ मंडल	हारिसण एंटणी	शांति वी
7	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	दीपक कुमार	रॉय वर्गीस
8	दीपक कुमार	त्रिशूर मंडल	माया कुरियन	एन.एस. जयश्री
9	एन. एस. जयश्री	पेरुम्बावूर मंडल	रॉय वर्गीस	दीपक कुमार
10	रॉय वर्गीस	इडुक्की मंडल, संरचना, कल्याण, खेल	एन. एस. जयश्री	अजिता पी


 [मनीष कुमार]
 आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
 प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप /सहायक आयुक्त, के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय।
3. के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख ।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) के. कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

दिनांक: 04.01.2023

आदेश सं.: 2/2023

विषय : निजी सचिव के कैडर में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित आशुलिपिक को ऐसे भते, जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत हैं, सहित एवं 44,900-1,42,000 रुपये के वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 7 में निजी सचिव के संवर्ग में पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1	जगदीश पिल्लै	6501	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक 07.01.2023 को या उसके बाद तथा कम से कम दिनांक 13.01.2023 तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए अन्यथा इस आदेश को रद्द माना जाएगा। इनकार, यदि कोई हो, तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उन्हें पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का.जा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प दें। एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प अंतिम होगा।

3 अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 20.01.2023 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

मनीष

[मनीष कुमार]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम।

प्रति :

- अधीक्षक(सत.सिस्टम्स/मु.), हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम।
- मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. तिरुवनंतपुरम।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
 GEXCOM/II/3/39/2022-Estt. दिनांक : 03.01.2023

आदेश सं.: 1/2023

विषय : कर सहायक /निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय -संबन्धित।

कर सहायक /निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश इसके साथ तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	कर्मचारी कोड	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	जूली मीना, कर सहायक	-	लेखा (वेतनबिल) अनुभाग, मु.कोच्चि	एर्णाकुलम मंडल
2.	विवेक बिजु बोस, नि.श्रे.लि.	9011	एर्णाकुलम मंडल	केंद्रीय रजिस्ट्री इकाई, मुख्यालय कोच्चि के अतिरिक्त कर्तव्यों के साथ प्रशासन अनुभाग
3.	राहुल टी राज, नि.श्रे.लि.	8881	केंद्रीय रजिस्ट्री इकाई, मुख्यालय कोच्चि के अतिरिक्त कर्तव्यों के साथ प्रशासन अनुभाग	लेखा (वेतनबिल) अनुभाग, मु.कोच्चि
4.	बैजु के एस, नि.श्रे.लि.	8402	लेखा (व्यय) अनुभाग, मु.कोच्चि	आलुवा मंडल

2.यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

3.अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 13.01.2023 तक मिलनी चाहिए ।

[सी टी बिंदु]

उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियों (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. उप आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम/आलुवा मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु., कोच्चि
3. अधीक्षक((सिस्टम्स/हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-ESTT.

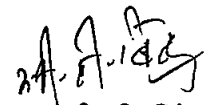
दिनांक: .01.2023

आदेश सं .128/2022 दिनांक 30.12.2022 का शुद्धिपत्र -सं।

विषय : सहायक उप-निरीक्षक (हथियार) के संवर्ग में पदोन्नति - सम्बंधित।

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 30.12.2022 के आदेश संख्या 128/2022 का संदर्भ लें।

उपरोक्त संदर्भित आदेश में, पैरा 2 में उल्लिखित तिथि को "13.12.2022" के बजाय "13.01.2023" के रूप में पढ़ा जाएं और पैरा 3 में उल्लिखित तिथि को "18.12.2023" के बजाय "18.01.2023" के रूप में पढ़ा जाएं।


(सी टी बिंदु)

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / कोयिकोड/तिरुवनंतपुरम
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपील कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी/ मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ) सीमा शुल्क निवारक (आयुक्तालय, कोचिन
3. अधीक्षक) गोपनीय-सतर्कता (सीमा शुल्क) निवारक (आयुक्तालय, कोचिन
4. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि, वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. हिंदी कक्ष, कोच्चि आयुक्तालय
6. सचिव, केरल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ग' अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

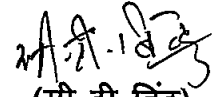
GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT.

दिनांक: .02.2023

कार्यालय आदेश

विषय : हेड हवलदार के ग्रेड में अस्थायी तैनाती - सम्बंधित ।

श्री अनिल कुमार एम.जी., हेड हवलदार, जो वर्तमान में केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि में कार्यरत हैं, को अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक काक्कनाड मंडल में कार्य व्यवस्था के आधार पर तैनात किया जाता है।


(सी टी बिंदु)

उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

सम्बंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि समर्पित

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, काक्कनाड मंडल
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी /मुख्य लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी)डीडीओ ,(केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि / काक्कनाड मंडल
3. अधीक्षक मु.अनुभाग/ सिस्टम्स, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि,



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/119/2022-HQRS-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

दिनांक: 24.03.2023

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय में जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाओं को किराए पर लेने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति - सम्बंधित ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुक्त, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए अकुशल श्रमिकों को काम पर रखने के लिए संविदा प्रदान करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और 19,77,300/- रुपये (मात्र उन्नीस लाख सतहतर हजार तीन सौ रुपये) की व्यय स्वीकृति मेसर्स सीवर्ल्ड शिपमैनेजमेंट सर्विसेज, काटुपाडत, ब्लॉक रोड, पेरुम्पिली डाक, मुलंतुरुती, एर्णाकुलम - 682314 को दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की है।

भवदीया
[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING



आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/213/2022-HQRS-O/o Pr COMM-R-CGST-KOCHI

दिनांक: 13.03.2023

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : एलईडी वॉल की खरीद के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति -सम्बंधित।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुक्त, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से एलईडी वॉल की खरीद के लिए 11,13,750/- (मात्र ग्यारह लाख तेरह हजार सात सौ पचास रुपये) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति प्रदान की है।

भवदीया
[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क

CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/HQR/MISC/25/2023-HQRS-O/o Pr COMM-R-CGST-KOCHI

दिनांक: 09.03.2023

जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद

विषय : 2 एलजी 1.5 टन, 5 स्टार एसी की खरीद के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति - सम्बंधित ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुक्त, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से 2 एलजी 1.5 टन, 5 स्टार एसी की खरीद के लिए 99,000/- रुपये (मात्र नब्ब्यानवे हजार रुपये) की प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्रदान की है।

भवदीया
[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 28.03.2023

ORDER NO. 41/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Meenakshi Rohilla	07.07.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by Bindu C T
 Date: 28-03-2023 13:04:12

[C.T. Bindu]
 Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
- The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Audit.

Done
05/07/2023

I/1095979/2023

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Audit Hqrs, Kochi**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1089844/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/11/1/2020-Estt

Dated: 22.03.2023

ORDER NO. 40/2023

Sub: Confirmation in the grade of Tax Assistant - Reg

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Tax Assistants of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name (S/Shri/Kum/Smt)	Date of birth	Date of Confirmation
1.	Kiran G. Pillai	14.10.1990	03.10.2022
2.	Nibin Punnoose Ipe	23.06.1996	30.07.2022
3.	Akhila Prakash	03.08.1993	02.09.2022
4.	Gayathry Anil	06.09.1992	03.08.2022
5.	Jithin Joseph	16.02.1993	01.09.2022
6.	Pratishtha Singh	30.07.1993	03.09.2022
7.	Ravindra Pratap Singh	20.06.1992	14.09.2022
8.	Sugandha Kumari	28.03.1996	27.11.2022
9.	Sushant Godara	02.12.1992	08.09.2022
10.	Himanshu Ranjan Singh	29.05.1994	11.09.2022

done
 05/07/2023

I/1089844/2023

11.	Sachin Babu S.	07.08.1992	30.07.2022
12.	Shinaz P.M.	19.04.1992	07.10.2022
13.	Niladri Sekhar Das (Resigned)	29.01.1993	14.09.2022

2. Necessary entries may be made in the service book of the individuals.
3. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 24-03-2023 12:14:29

[Anwar Ali T.P.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Kozhikode/Thiruvananthapuram/Audit.**
3. **The Additional Commissioner of Income-tax (Hqrs)(Admn), Bihar and Jharkhand Zone.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1089829/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/11/2/2020-Estt

Dated: 22.03.2023

ORDER NO. 39/2023

**Sub: Confirmation in the grade of Stenographer Grade-II -
Reg**

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Stenographers Grade-II of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Date of Confirmation
1.	Ashish Kumawat	16.03.1994	26.08.2022
2.	Deepak Kumar	05.12.1996	25.08.2022
3.	Renu Yadav	15.01.1995	27.08.2022
4.	Ankit Kumar	13.06.1996	18.02.2023

- Necessary entries may be made in the service books of the individuals.
- Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
 Date: 24-03-2023 12:11:01

[Anwar Ali T.P.]
 Additional Commissioner [P&V]

Done
 05/07/2023

I/1089829/2023

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

HP LaserJet Pro M202dw

HP Web Services

Enable HP Web Services

NOTE: HP Web Services requires the printer to be connected to a network.

1. Once the printer is connected to a network, enter the printer's network IP address into a Web browser. To find the printer's IP address, refer to the printer's user guide, or reprint this page after the printer is connected to the network.
2. On the Web page that appears, click on the HP Web Services tab.
3. Review and accept the terms of use, and then click the Enable button.

HP ePrint

Print from Anywhere

HP's free ePrint service provides an easy way to print from e-mail, anywhere and anytime. Simply attach a file to an e-mail, and send it to this printer's e-mail address. The attachment will print automatically on this printer. Supported attachment file types include .pdf, .jpg, .tif, and Microsoft Office(R) documents.

NOTE: Attachments may print differently than they appear in the software program which created them, depending on the original fonts and layout options used.

Your Printer is Protected

To help prevent unauthorized e-mail, HP assigns a random e-mail address to your printer, never publicizes this address, and by default does not respond to any sender. ePrint also provides industry-standard spam filtering and transforms e-mail and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.

NOTE: The ePrint service does not filter e-mails based on content, so it cannot prevent objectionable or copyrighted material from being printed.

HP Connected

Use the HP Connected Web Site

Use HP Connected Web site to set up increased security for ePrint, specify the e-mail addresses that are allowed to send e-mail to your printer, get Print Apps (if available for your product), and access other free services.

- * Go to the HP Connected Web site for more information and specific terms and conditions:
www.hpePrintCenter.com

I/1089796/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/32/2020-Estt

Date: .03.2023

ORDER NO. 38/2023

**Sub: Promotion of Havaladar to the cadre of Head Havaladar –
 Reg.**

The following Havaladar is hereby promoted to the cadre of Head Havaladar, Group 'C' non gazetted, non-ministerial, in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,000 - 63,200) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the new post.

Sl. No	Name (Shri.)	Employee Code	Present Commissionerate
1.	P. Kamarudheen	9212	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The officer mentioned above should join the promoted post latest by **03.04.2023**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/ officer concerned regarding joining/ non-joining of the officer should be sent to this office by **06.04.2023**.

4. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 24-03-2023 12:05:49

(Anwar Ali T.P.)

Additional Commissioner (P&V)

The Individual (Through the Supervisory Officer
 concerned).

done
 05/04/2023

I/1089796/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram/ Audit, Kochi/ Appeals, Kochi/ CCP, Cochin.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram/Audit, Kochi/ Appeals, Kochi/ CCP, Cochin.**
3. **Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram/ Appeals, Kochi/ Audit, Kochi/ CCP, Cochin.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1089859/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्ची, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/36/2022-Estt

Date: .03.2023

ORDER NO. 37/2023

**(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/
 STENOGRAPHER-II/76886)**

**Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II through SSC
 – Stenographer Grade-II Examination, 2020 – Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Ms. Meenakshi Rohilla**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II under **UR** category vide F.No.A-12034/SSC/04/2020-Ad.III(B) dated 24.11.2022, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **20.03.2023 (F.N)**.

2. Ms. Meenakshi Rohilla is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason

I/1089859/2023

and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 24-03-2023 12:17:56

[Anwar Ali T.P.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Ms. Meenakshi Rohilla
D/o Satish Kumar
Type 3/7 North West,
Moti Bagh,
New Delhi – 110021.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Headquarters/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

I/1085402/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(25)/38/2020-ESTT.

Date: .03.2023

ORDER No. 36/2022

Sub: Voluntary retirement from service in respect Shri Roy Jose, Superintendent, CGST Hqrs, Thiruvananthapuram Commissionerate - reg.

In terms of the provisions of Rule 48(1)(a) of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri Roy Jose, Superintendent, CGST Hqrs, Thiruvananthapuram Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from **31.03.2023 A.N** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation dated 22.02.2023.

2. It is informed that his request to relax the requirement of notice period of three months has been accepted by the competent authority, subject to the condition that the Government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before 22.05.2023 (i.e, the date of expiry of the period of notice of three months). An undertaking to this effect may be submitted by the officer to this office immediately.

3. All dues in respect of Shri Roy Jose, Superintendent pending if any, maybe recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by Bindu C T

Date: 22-03-2023 15:19:41

(C.T. BINDU)

DEPUTY COMMISSIONER (P&V)

To:

Shri Roy Jose, Superintendent, (Through the Supervisory Officer concerned)
CGST Hqrs, Thiruvananthapuram Commissionerate, Thiruvananthapuram.

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise,
Thiruvananthapuram Zone.

I/1085402/2023

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate, Thiruvananthapuram.

Copy to:

- 1. The Additional Commissioner (P&V), Thiruvananthapuram Commissionerate, Thiruvananthapuram.** – He may obtain the declaration as mentioned in para 2 above from the officer and also the 'No due certificate' from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.
- 2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Thiruvananthapuram Commissionerate, Thiruvananthapuram.**
- 3. The Administrative Officer (DDO), Thiruvananthapuram Commissionerate, Thiruvananthapuram.**
- 4. The Superintendent (Confl./Vig.), Thiruvananthapuram Commissionerate, Thiruvananthapuram/ Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
- 5. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
- 6. The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.**
- 7. Hindi Cell – for Hindi Version**

/1068090/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT.

Date: .03.2023

ORDER No. 35/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1.	SREEHARI K	20-06-1997	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Ernakulam Range 3
2.	NOEL E V	11-03-1999	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Ernakulam Range 6
3.	SHIVI MODI	10-04-2000	Under order of posting to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Audit Section, Hqrs, Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 17.03.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

Done
05-07-2023

/1068090/2023

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.
5. Report compliance by **20.03.2023**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 14-03-2023 17:26:09

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Sections, Central Tax & Central Excise, Hqrs. Kochi**
3. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
5. **The Superintendent (EDP) – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1048197/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

Date: .03.2023

ORDER No. 34/2023

Sub: Notional promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

Shri. Gopinath N P, Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, on regular basis, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from 01.06.2020 and until further orders. His seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Shri. Jiji Cyriac and above Shri. Manoj M.

2. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
 Date: 03-03-2023 16:53:10

[Maneesh Kumar]
 Commissioner

done
 4/7/2023
 5

I/1049197/2023

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/10/2132/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2022-ESTT.

Date: .03.2023

ORDER No. 33/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	VISHNU M PILLAI	24-01-1994	CGLE 2020 New Recruit	CCO-CCA
2	ANJANA K	22-01-1998	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3	AKSHAY K	22-12-1995	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4	ABHAY P S	04-08-1997	CGLE 2020 New Recruit	CCO-CCA
5	SREEHARI K	20-06-1997	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

I/1049132/2023

6	HIMA K	09-02-1994	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
7	NOEL E V	11-03-1999	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	MOHYIDDIN K	12-02-1991	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
9	RAHITH A	30-05-1996	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
10	ARAVIND S	28-04-1995	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
11	SHIVI MODI	10-04-2000	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
12	ANEESH G S	20-05-1992	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
13	SREERAG S A	15-11-1996	CGLE 2020 New Recruit	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
14	RAM MOHAN MEENA	11-01-1999	CGLE 2020 New Recruit	CCO-CCA

I/1040132/2023

15	RAVINDRA MARUTI PALKAR	16-08-1982	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
----	---------------------------	------------	---------	---

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/ handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by 10.03.2023. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DRI formations, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

6. Report compliance by **13.03.2023**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 03-03-2023 16:45:21

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

I/1049132/2023

7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/1047/7/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 02.03.2023

ORDER NO. 32/2023

**Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II
 – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram
 Zone- Reg.**

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-II is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Anirudh A.	23.09.1995	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate (Steno Gr-II to ADC CCO/Prev and P&V, Kochi)

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by Bindu C T

Date: 03-03-2023 11:47:28

[C.T. Bindu]
 Deputy Commissioner [P&V]

done
4/7/2023
 To
 The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and

I/1047017/2023

Customs, Thiruvananthapuram Zone.

2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

- 1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1063988/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/5/2021-ESTT.

Date: .02.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO. 31/2023

Sub: Confirmation in the grade of Inspector – Reg.

In accordance with the instructions in O.M No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 issued by the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India the following officers of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in the grade of Inspector with effect from the date shown against their names.

Sl. No.	Name (S/ Shri./ Smt.)	Date of birth	Date of confirmation
1.	RAVISH PATHAK	26-07-1993	26.07.2020
2.	SUMIT SHEORAN	29-08-1993	26.07.2020
3.	PADALA PRAVEEN	12-07-1991	26.07.2020
4.	YADAV PUNIT SUBHASH	21-11-1991	26.07.2020
5.	ARVIND YADAV	07-12-1992	26.07.2020
6.	VAISAKHAN. V.S	28.07.1989	30.10.2022
7.	JATIN. T. JOSEPH	14.09.1994	15.09.2022
8.	SANDEEP. S. MENON	11.07.1991	15.09.2022
9.	JAIVEER YADAV	10.03.1993	15.09.2022
10.	SUBRAT AGRAWAL	20.05.1996	15.09.2022
11.	ADARSH KUMAR	05.12.1994	22.10.2022

Done
04/05/2023
04/04/2023

I/1063988/2023

12.	ADARSH. K. DAS	30.04.1993	01.01.2023
13.	DEEPAK SINGH TONI	08.06.1991	15.09.2022
14.	SUMIT KUMAR VARSHNEY	01.11.1987	15.09.2022
15.	HARSHIT TIWARI	03.09.1993	15.09.2022
16.	PRITAM KUMAR JHA	01.09.1992	15.09.2022
17.	AVANISH PANDEY	08.07.1996	21.10.2022
18.	SONAWANE VISHAL KAILAS	21.11.1991	15.09.2022
19.	SATNAM SINGH	25.08.1994	15.09.2022
20.	ANKIT TIWARI	10.07.1994	15.09.2022
21.	JOSE TOM. K	27.07.1989	08.10.2022
22.	SHUBHAM SHARMA	13.08.1995	15.09.2022
23.	DIVYANSH KESARWANI	26.08.1995	15.09.2022
24.	PAWAN SHUKLA	29.06.1997	15.09.2022
25.	PRAVEEN. P. AUGUSTINE	19.06.1991	15.09.2022
26.	ANKIT GUPTA	30.10.1991	15.09.2022
27.	AKHIL. S. NAIR	02.10.1990	09.11.2022
28.	MIDHUN. A	01.01.1987	14.12.2022
29.	VISHNU SATHYAN	10.05.1990	15.09.2022
30.	M. SIVAKUMAR KALIDAS	13.08.1990	08.01.2023
31.	SUHAS. K. RAMESH	14.10.1992	28.10.2022
32.	ABHIJITH MOHAN	29.08.1992	15.09.2022
33.	DHARMENDRA VERMA	27.11.1993	29.12.2022
34.	KUNIBILLI RAJESH	11.05.1993	20.10.2022
35.	MUDIRAJ ANIL KUMAR	21.10.1990	15.10.2022
36.	DATTI ASHOK KUMAR	18.06.1989	13.10.2022
37.	SOHAN LAL JAT	01.02.1991	30.12.2022
38.	BALKISHAN	02.02.1993	03.11.2022

I/1063988/2023

39.	ANIRUDH SINGH	09.02.1996	15.09.2022
40.	NAVRAJ KUMAR SONI	28.02.1995	15.09.2022
41.	D. VASAVI	23.01.1994	15.09.2022
42.	GOKUL. S	20.07.1992	23.10.2022
43.	W.R. ANBU MATHIKA	08.08.1994	22.10.2022
44.	K.M. MANEESH	16.02.1991	23.10.2022
45.	SANDEEP SINGH	21.03.1996	15.09.2022
46.	SHOBHIT KUMAR	24.01.1995	22.09.2022
47.	VIKRANT KUMAR VERMA	09.02.1993	15.09.2022
48.	BHAWNESH AZAD	08.08.1996	04.01.2023
49.	KRISHNA KANT RANGOLIYA	29.06.1992	22.09.2022
50.	RAJ KHUNGUR BASUMATARY	27.12.1986	15.09.2022
51.	RAJ KUMAR MUNDA	20.08.1992	30.10.2022
52.	NEHA MEENA	19.09.1996	15.09.2022
53.	RAMSAGAR MEENA	08.07.1996	15.09.2022
54.	DIBIN BABU K JOHNSON K GEORGE	25.04.1989	15.09.2022
55.	RAMJAN KHAN	07.08.1991	15.09.2022

2. Necessary entries may be made in the Service Book of the individuals.
3. This is issued with the approval of the Commissioner.
4. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P
Date: 13-03-2023 15:11:05

[ANWAR ALI T. P.]
ADDITIONAL COMMISSIONER [P&V]

To

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

I/1063988/2023

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Appeals/ Audit (Kochi).
2. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
3. The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of All Divisions, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
4. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
5. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/1042108/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
 E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .02.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.30/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77590)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Mohyiddin K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2023 (F.N)**.

2. Shri. Mohyiddin K is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Mohyiddin K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done
 04/05/2023

I/1042100/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-03-2023 15:38:19

[MANEESH KUMAR]

COMMISSIONER

To

SHRI. MOHYIDDIN K,
KALLAN HOUSE,
ERKKARA, MARAKKARA P.O,
MALAPPURAM - 676553.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

/1042104/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**
GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: **.02.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.29/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77600)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Ram Mohan Meena**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **ST** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **10.02.2023 (F.N)**.

2. Shri. Ram Mohan Meena is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Ram Mohan Meena** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

/1042104/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 01-03-2023 15:37:54
[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAM MOHAN MEENA,
S/O LAKHAN LAL MEENA,
VILL. - MANEMA, POST - KATKAD, TEHSIL - HINDAUN, KARALI DISTT.,
RAJASTHAN - 322234.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

/1042099/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**
GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: **.02.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.28/2023**(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77585)**

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Abhay P S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **08.02.2023 (F.N.)**.

2. Shri. Abhay P S is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Abhay P S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

/1042099/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-03-2023 15:37:23

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. ABHAY P S,
ABHAYAM, PAROL,
ARIYALLUR P.O,
MALAPPURAM-676312.**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1042090/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .02.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.27/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77589)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Noel E V**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.02.2023 (F.N)**.

2. Shri. Noel E V is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Noel E V** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

/1042090/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-03-2023 15:36:49

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. NOEL E V,
VAYALINKAL HOUSE,
KUNNOTH, KILIYANTHARA P.O,
KANNUR - 670706.**

Copy Submitted to:

- 1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
- 2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

- 1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.**
- 2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
- 3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
- 4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
- 5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 9. Hindi Cell - for Hindi Version.**

/1042082/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .02.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.26/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77596)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Aneesh G S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.02.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Aneesh G S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Aneesh G S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

/1042082/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-03-2023 15:35:51

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ANEESH G S,
KIZHAKKE KANJIRAKKADU VEEDU, MACHIYODU, VLATHANKARA P.O,
CHENKAL VILLAGE, NEYYATTINKARA, THIRUVANANTHAPURAM - 695134.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.

/1042082/2023

9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1042043/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: .02.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.25/2023**(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77584)**

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Akshay K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **02.02.2023 (F.N)**.

2. Shri. Akshay K is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Akshay K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Done
04/05/2023

/1042043/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-03-2023 15:30:54

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**SHRI. AKSHAY K,
KADASSERI HOUSE,
CHETTIPADI P.O,
MALAPPURAM-676319.**

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/1039419/2023



E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .02.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.24/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77588)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Ms. Hima K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **01.02.2023 (F.N)**.

2. **Ms. Hima K** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. Hima K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

Done
04/05/2023

I/1039419/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 28-02-2023 16:37:45

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

**Ms. HIMA K,
NEELANCHERY HOUSE,
MANALAYA P.O,
MALAPPURAM - 679357.**

Copy Submitted to:

- 1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
- 2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

- 1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
- 2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
- 3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
- 4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
- 5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
- 9. Hindi Cell - for Hindi Version.**

1037999/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/ II/(39)/72/2021 Estt.

Date: .02.2023

ORDER NO. 23/2023**Sub: Grant of financial upgradation under ACP Scheme – Reg.**

The following officer is hereby granted financial upgradation under the Assured Career Progression Scheme as contemplated in Department of Personnel & Training's O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D), dated 09.08.1999 with effect from the date as mentioned against his name.

Sl. No.	Name & Designation S/Shri./Smt.	1 st / 2 nd financial upgradation	Date from which ACP is granted	Recommended pay scale (as per V th CPC)	Replacement scale in the VI th CPC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shaji John, Superintendent (now Joint Commissioner)	1 st	25.09.2007	Rs. 8000-275-13500	PB-3 (Rs. 15600-39100) + G.P of 5400/-

2. The officer may exercise his option for fixation of pay in the higher scale under F.R.22 (1) a) (1) within one month from the date of issue of this order for fixation of his pay. Such option once exercised shall be treated as final.

3. This issues with the approval of the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

4. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 28-02-2023 12:11:37

Reason: Approved

(Anwar Ali T.P)

Additional Commissioner (P&V)

/1037999/2023

To:

The Individual (through the Supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The Pay and Accounts Officer/ Chief Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Kochi.**
- 2. The Superintendent (Vigilance-Confidential), Hqrs. Kochi/ A.O (DDO), Hqrs. Kochi.**
- 3. Superintendent (Systems), Hqrs. Kochi who is requested to upload the Order on the Commissionerate website.**
- 4. Hindi Cell, Kochi Commmissionerate.**

I/1019561/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/36/2022-Estt

Date: 17.02.2023

ORDER NO. 22/2023

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/STENOGRAPHER-II/76885)

**Sub: Appointment to the grade of Stenographer Grade-II
through SSC – Stenographer Grade-II Examination,
2020- Reg**

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Anirudh A.**, a candidate allocated by the Ministry for appointment as Stenographer Grade-II (belongs to OBC category and allocated under UR category) vide F.No.A-12034/SSC/04/2020-Ad.III(B) dated 24.11.2022, is appointed as Stenographer Grade-II in Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **17.02.2023 (F.N)**.

2. **Shri. Anirudh A.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is

done
04/05/2023

I/1019561/2023

provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by Anwar Ali T P

Date: 17-02-2023 13:09:37

[Anwar Ali T.P.]

Additional Commissioner [P&V]

To

**Anirudh A.
S/o Ananthakrishnan V.,
Kunchiriparambil House,
Pallathery P O,
Palakkad,
Kerala - 678007.**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**

I/1020221/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**
GEXCOM/II/(3)/46/2020-ESTT. Date: **.02.2023**

ORDER No. 21/2023

Sub: Notional promotion to the cadre of Inspector of Central Excise & Customs - reg.

Smt. N.P. Gopinath, who was promoted to the cadre of Inspector of Central Excise vide order No. 50/2012 dated 30.04.2012, is hereby notionally promoted to the cadre of Inspector of Central Excise, Group 'B' post, on regular basis, in the pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) with G.P Rs. 4600/- in pre revised scale plus such allowances as may be applicable with effect from 06.05.2008 and until further orders. His seniority in the cadre of Inspector is assigned immediately below Shri Jiji Cyriac and above Shri Manoj M, in the Seniority List as on 01.01.2015 published vide C.No.II/34/6/2014 Estt. dated 29.01.2015.

2. The officer is entitled for arrears of pay, if any, for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion.

3. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final.

4. The promotion to the grade of Inspector is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

done
28/04/2023
04/05/2023

I/1020221/2023

5. Hindi version follows

Signed by Maneesh Kumar
Date: 17-02-2023 15:36:53

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1020201/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT.

Date: .02.2023

ORDER No. 20/2023

Sub: Notional promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

Smt. P. Jayasree, who was promoted to the cadre of Superintendent of Central Excise vide order No. 96/2012 dated 20.07.2012, is hereby notionally promoted to the cadre of Superintendent of Central Excise, Group 'B' post, on regular basis, in the pay band of Rs. 9,300-34,800(PB-2) with G.P Rs. 4800/- in pre revised scale plus such allowances as may be applicable with effect from 15.10.2007 and until further orders. Her seniority in the cadre of Superintendent is assigned immediately below Shri C. Suresh Babu and above Shri Mohandas K. R, in the revised Seniority List as on 01.01.2014 published vide C.No.II/34/5/2014 Estt. dated 09.01.2017.

2. The officer is entitled for arrears of pay, if any, for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion.

3. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT O.M dated 26.09.1981 and 05.07.1999 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final.

4. The promotion of the Inspector to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court

done
 28/04/2023

I/1020201/2023

Order dated 28.03.2012 and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

5. Hindi version follows

Signed by Maneesh Kumar

Date: 17-02-2023 15:33:13

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/998245/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

Date: .02.2023

ORDER No. 19/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In partial modification to Order No. 06/2023 dated 13.01.2023 the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Pothuraju Siva Prasad	23.05.1990	UOT to Range 3, Ernakulam Division	Range 4, Ernakulam Division
2	Padmarajan Nambiar C	09.05.1971	Range 4, Ernakulam Division	Range 3, Ernakulam Division

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **10.02.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **13.02.2023**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 07-02-2023 11:42:38

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

done
28/04/2023
 To:

I/998245/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/985524/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
 E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
 File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT. Date: .01.2023

ORDER No. 18/2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent of Central Excise & Customs - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted **on Ad-hoc and in-situ basis** to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	Date of Birth
1.	LIJIN J KAMAL	20-04-1980
2.	SHREE BABU (OH)	06-04-1985

2. The officers mentioned above should join the higher post on or after **01.02.2023** and not later than **10.02.2023**. Specific posting orders to the officers will be issued in due course.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

28/04/2023
 down

I/985524/2023

4. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **13.02.2023**.

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:48:33

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/985504/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**
GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: **.01.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.17/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77597)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. SREERAG S A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.01.2023 (F.N)**.

2. **Shri. SREERAG S A** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. SREERAG S A** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done
28/01/2023

I/985504/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:42:41

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. SREERAG S A,
13/289, SREERAGAM, ARATTUTHARA P.O, MANANTHAVADY,
WAYANAD - 670645.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/985507/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .01.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.16/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77594)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Ms. SHIVI MODI**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and EWS certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.01.2023 (F.N)**.

2. **Ms. SHIVI MODI** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. SHIVI MODI** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done
28/04/2023

I/985507/2023

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC/ST/OBC/EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:43:29

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

Ms. SHIVI MODI,
D/O RAVI KUMAR MODI,
TEHSIL - SAIPAU,
VILLAGE - SAIPAU,
DISTT. - DHOLPUR,
RAJASTHAN - 328027.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/985510/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
 E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
 GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: .01.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.15/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR//77593)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 - Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. ARAVIND S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **27.01.2023 (F.N)**.

2. Shri. ARAVIND S is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. ARAVIND S** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done
28/04/2023

I/985510/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:44:11

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. ARAVIND S,
AISWARYA, KP 8/731, SURYA LANE, PATHIRIPALLY,
KUDAPPANAKUNNU P.O, THIRUVANANTHAPURAM - 695043.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/985514/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**
GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: **.01.2023**

ESTABLISHMENT ORDER NO.14/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77591)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. RAHITH A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.01.2023 (F.N)**.

2. Shri. RAHITH A is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. RAHITH A** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Done
28/04/2023

I/985514/2023

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:45:06

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAHITH A,
CHARUVILA VEEDU, CHERUNNIYOOR P.O, VARKALA, THIRUVANANTHAPURAM -
695142.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/985518/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404
GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT. Date: .01.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.13/2023**(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77587)**

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. SREEHARI K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.01.2023 (F.N)**.

2. Shri. SREEHARI K is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. SREEHARI K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

Done
 28/04/2023

I/985518/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:45:50

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. SREEHARI K,
SREE, MATHIRAT, KUTTIYILTHAZHAM,
POKKUNNU P.O,
KOZHIKODE-673007.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

1/985519/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER



केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .01.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.12/2023

(Thiruvananthapuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77583)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Ms. Anjana K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **25.01.2023 (F.N)**.

2. **Ms. Anjana K** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. Anjana K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done
28/04/2023

I/985519/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 01-02-2023 10:46:17

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

Ms. ANJANA K,
KANNAMPURATH HOUSE, ELANGODE POST, PANOOR, THALASSERY, KANNUR-
670692.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/985521/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/38/2022-ESTT.

Date: .01.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO.11/2023

(Thirvananthpuram GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/77582)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2020 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate offer of appointment of even no. dated 19.01.2023, **Shri. Vishnu M Pillai**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A.12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.01.2023 (F.N)**.

2. Shri. Vishnu M Pillai is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant **DoPT O.M.s** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Vishnu M Pillai** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

I/985521/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 01-02-2023 10:47:08

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To

SHRI. VISHNU M PILLAI,
ADDIVATTU PUTHEN VEEDU, MELKULANGARA, VAYAKAL P.O, KOLLAM-691548.

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram / Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell - for Hindi Version.

I/998197/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: .01.2023

ORDER NO. 10/2023

**Sub: Transfer & Postings in the grade of Head Havaladar -
 Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.**

The following transfer & postings in the grade of Head Havaladar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Emp. Code	Present Comm'te	Posted To
1	Sajan V.G.	3212	Customs (Preventive) Commissionerate, Kochi	Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi (Hqrs, Kochi)
2	Unnikrishnan M.T.	5020	Central Tax & C.Ex Commissionerate, Kochi	Customs (Preventive) Commissionerate, Kochi

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi Version follows.

Signed by Bindu C T
 Date: 07-02-2023 11:32:19

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner (P&V)

To

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned).

Done
 28/04/2023

I/998197/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
2. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
3. **The Superintendent (Vig.)/(HQRS), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/975936/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/5/2023-Estt

Date: 24.01.2023

ORDER NO. 9/2023

Sub: Transfer and posting in the grade of Assistant Manager-cum-Storekeeper – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

The following transfer and posting in the grade of Assistant Manager-cum-Storekeeper is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vimal Chandran	25.07.1973	Departmental Canteen, Hqrs Kochi	Departmental Canteen, Ernakulam Division

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by Bindu C T

Date: 25-01-2023 13:21:21

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

Done
27/04/2023
28

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Copy to:

I/975936/2023

1. The Deputy Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.
2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.
3. The Superintendent (Systems)/(Headquarters)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.

I/985574/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 24.01.2023

ORDER NO. 8/2023

**Sub: Transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-I –
 Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone
 - Reg.**

The following transfer and posting in the grade of Stenographer Grade-I is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Kum.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	KM Nargish Jahan	25.12.1995	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Customs Preventive Commissionerate, Cochin.

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Signed by Bindu C T

Date: 01-02-2023 11:04:53

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
- The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

Done
26/04/2023
at

I/985574/2023

3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), CCP Hqrs, Cochin.**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/979461/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**
 E-mail: **cexcochi@nic.in** Fax: **0484-2390608** Phone: **0484-2390404**

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

Date: .01.2023

ORDER No. 07/2023

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on **Ad-hoc and in-situ basis** to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl No	Name (S/Shri/Smt)	Date of Birth
1	SHINOJ P	17.04.1982
2	SHANIMA A R	30.05.1989
3	MANIKANTAN V	15.05.1973
4	SUBHA H S	21.05.1972
5	WILLIAMS M A	08.03.1973
6	MANOJ KUMAR YADAV	04.07.1982
7	HARIPRASAD A K	01.06.1972
8	DILIP KUMAR	01.03.1980
9	VIKRAMADITYA KUMAR	17.10.1982
10	JINESH K	07.11.1974
11	RAKHI NAIR	12.06.1976
12	RAJESH KUMAR	31.12.1980
13	VIRENDRA KUMAR	01.10.1979
14	AJITHA KUMARI K S	30.05.1973

done
26-04-2023

I/979461/2023

15	ASHOK KUMAR	08.09.1980
16	MIRAJ K K	20.05.1972
17	NAVEEN KUMAR	04.10.1986
18	SHIBU V L	25.05.1975

2. The officers mentioned above should join the higher post immediately and not later than **31.01.2023**.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB) and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.

4. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by **03.02.2023**.

5. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 27-01-2023 17:48:44

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

I/979461/2023

8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/
Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax &
Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/
Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.),
Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/955166/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
 वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
 राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

Date: .01.2023

ORDER No. 06/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 04/2023 dated 12.01.2023, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Devassy V P	21.04.1964	UOT to Kochi Commissionerate	Aluva Division
2	Akhil T K	17.04.1991	UOT to Kochi Commissionerate	Technical Section, Headquarters, Kochi
3	Jacob Joseph	02.06.1986	UOT to Kochi Commissionerate	Review Section, Headquarters, Kochi
4	Pothuraju Siva Prasad	23.05.1990	UOT to Kochi Commissionerate	Ernakulam Range 3
5	Bhaskarnath	05.08.1987	UOT to Kochi Commissionerate	Adjudication Section, Headquarters, Kochi
6	Kapil Dev Surira	16.04.1983	UOT to Kochi Commissionerate	Vandiperiyar Range, Idukki Division

Done
26-04-2023

I/955166/2023

7	Priya K M	17.03.1979	Technical Section, Headquarters, Kochi	Adjudication Section, Headquarters, Kochi
---	-----------	------------	--	--

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **23.01.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **25.01.2023**.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 13-01-2023 12:32:06

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
9. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Conf/Vig.), Kochi.**
10. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
11. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/953352/2023



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय **OFFICE OF THE COMMISSIONER**

केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, **CENTRAL REVENUE BUILDING**
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, **I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2021-ESTT.

Date: .01.2023

ORDER No. 05/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Dilip Kumar	01.03.1990	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	Vikaramaditya Kumar	17.10.1982	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **16.01.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done
25/04/2023
26/04/2023

I/953352/2023

6. Report compliance by **18.01.2023**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 12-01-2023 15:45:25

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Conf/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/953368/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/19/2021-ESTT.

Date: .01.2023

ORDER No. 04/2023

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Sunil Kumar K	31.05.1971	On Promotion	Retained at ACC (I&E), Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
2	Beena A	06.04.1972	On Promotion	Retained at Airport, Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
3	Arun R	21.12.1985	On Promotion	Retained at Airport, Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
4	Arunkumar A Vijayan	21.08.1986	On Promotion	Retained at Airport, Karippur, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
5	Kavitha L	21.11.1972	On Promotion	Retained at Airport, Thiruvananthapuram, Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

Done
 31/03/2023
 25/04/2023

I/953368/2023

6	Akhil T K	17.04.1991	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	T Seshu Venkata Kanth	16.03.1990	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
8	Manish Kumar Khatana	19.12.1992	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
9	Jacob Joseph	02.06.1986	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	Pothuraju Siva Prasad	23.05.1990	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	Bhaskarnath	05.08.1987	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
12	Kapil Dev Surira	16.04.1983	<i>On Promotion</i>	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	Seena A Maleth	09.01.1973	<i>On Promotion</i>	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
14	Minimol T	03.05.1971	Kozhikode Commissionerate	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
15	Ajayakumar K P	11.05.1970	CCO-CCA (on repatriation from DGGI Kochi Zonal Unit)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

I/953368/2023

16	Valsalakumari R	31.05.1967	On repatriation from SEZ Trivandrum	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
17	Sugunan N	25.03.1970	On repatriation from SEZ Kollam	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
18	Jossy Joseph	06.04.1969	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit
19	Devassy V P	21.04.1964	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
20	Mohd Musharaff Reza	24.09.1981	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit (to be relieved after 31.03.2023)

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **23.01.2023**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

6. Report compliance by **25.01.2023**.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 12-01-2023 15:48:23

[MANEESH KUMAR]
COMMISSIONER

To:

I/953368/2023

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/DRI Zonal Unit, Kochi.**
7. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
9. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
11. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
12. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/9373 2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt

Date: 04.01.2023

ORDER NO. 3/2023

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to Order No. 89/2022 dated 13.10.2022, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered with immediate effect:

2. Shri. Anil Raj R., Deputy Commissioner is assigned the charge of Audit, Review & Tax Arrear Recovery. Smt. Maya Chandran, Assistant Commissioner is assigned the charge of Verification Cell, Legal, RTI (CPIO), Training, SVLDRS, GST Cell & DGARM. Smt. C.T. Bindu, Deputy Commissioner is assigned the charge of Anti Evasion, Headquarters & Prosecution. Shri. Harrison Antony, Deputy Commissioner is assigned the charge of Ernakulam Division.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1 st Link	2 nd Link
1.	C.T. Bindu	Administration, P&V, CRU, OLIC, Adjudication, Systems, Anti Evasion, Headquarters &	Maya Chandran	Anil Raj R.

Done
 28/03/2023
 31/03/2023

I/937338/2023

		Prosecution		
		Aluva Division	Maya Kurian	Ajitha P.
2.	Shanthi V.	Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Anil Raj R.	C.T. Bindu
3.	Maya Chandran	Verification Cell, Legal, RTI (CPIO), Training, SVLDRS, GST Cell & DGARM	C.T. Bindu	Shanthi V.
4.	Anil Raj R.	Audit, Review & Tax Arrear Recovery	Shanthi V.	Maya Chandran
5.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Ajitha P.	Maya Kurian
6.	Ajitha P.	Kakkanad Division	Harrison Antony	Shanthi V.
7.	Maya Kurian	Chalaky Division	Deepak Kumar	Roy Varghese
8.	Deepak Kumar	Thrissur Division	Maya Kurian	N.S. Jayasree
9.	N.S. Jayasree	Perumbavoor Division	Roy Varghese	Deepak Kumar
10.	Roy Varghese	Idukki Division, Infrastructure, Welfare & Sports	N.S. Jayasree	Ajitha P.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar
Date: 04-01-2023 16:46:50

[Maneesh Kumar]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

I/937 8/2023

2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

I/93724/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/8/2020-Estt

Date: 04.01.2023

ORDER NO. 2/2023

Sub: Promotion to the grade of Private Secretary - Reg

The following Stenographer Grade-I is hereby promoted to the grade of Private Secretary in Level - 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Employee Code	Present place of posting
1.	Jagadeesh Pillai	6501	Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The officer should join the promoted post on or after **07.01.2023** and latest by **13.01.2023** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **20.01.2023**.

4. Hindi version follows.

Signed by Maneesh Kumar

Date: 04-01-2023 16:36:31

[Maneesh Kumar]
 Commissioner

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

done
 28/03/2023

I/937245/2023

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Thiruvananthapuram.**

I/9349/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय
 OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
 CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt

Date: 03.01.2023

ORDER NO. 1/2023

**Sub: Transfer and postings in the grades of Tax Assistant/
 Lower Division Clerk – Central Tax and Central Excise,
 Kochi Commissionerate – Reg.**

The following transfer and postings in the grades of Tax Assistant/Lower Division Clerk are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Emp Code	Transferred	
			From	To
1.	Jooli Meena, Tax Assistant	-	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi	Ernakulam Division
2.	Vivek Biju Bose, LDC	9011	Ernakulam Division	Administration Section with additional duties of Central Registry Unit, Hqrs Kochi
3.	Rahul T. Raj, LDC	8881	Administration Section with additional duties of Central Registry Unit, Hqrs Kochi	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi
4.	Baiju K.S., LDC	8402	Accounts (Exp) Section, Hqrs Kochi	Aluva Division

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Report compliance by 13.01.2023.

Done
28/03/2023

I/934973/2023

4. Hindi version follows.

Signed by Bindu C T

Date: 04-01-2023 10:16:13

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioners, Central Tax & Central Excise, Ernakulam/Aluva Divisions.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems)/Hindi Unit, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.**

GEXCOM/HR/MISC/
19/2022 - HQRS



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्ची
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
ई.एस.प्रेस रोड, कोच्ची, I.S.PRESS ROAD, KOCHI-682018

E-mail: commradt-cexcok@nic.in Fax: 0484-2397355 Phone: 0484-2391455, 2390404 (PBX)

Date: 24.03.2023

PROCUREMENT THROUGH GEM PORTAL

Sub: Administrative approval and Expenditure sanction for the hiring of Manpower Outsourcing services at the Central Excise HQRS Office- reg.

This is to certify that the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate has accorded administrative approval and expenditure sanction of **Rs. 19,77,300 /- (Rupees Nineteen Lakh Seventy Seven Thousand Three Hundred Only)** for awarding the contract for **Hiring of Unskilled Workers for Housekeeping Services** at the Central Excise HQRS Office, Kochi for a period of one year from 01.04.2023 to 31.03.2024 to **M/s Seaworld Shipmanagement Services, Kattupadath, Block Road, Perumpilly P.O, Mulanthuruthy, Ernakulam - 682314.**

Yours Faithfully

Signed by Bindu C T

Date: 24-03-2023 16:44:06

(C T Bindu)

Deputy Commissioner

done
5/7/2023

GEX COM / HQR / MISC /
213 / 2022 - HARS.



**1 NATION
TAX
MARKET**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
ई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S.PRESS ROAD, KOCHI-682018

E-mail: commradt-cexcok@nic.in Fax: 0484-2397355 Phone: 0484-2391455, 2390404 (PBX)

Date: 13.03.2023

PROCUREMENT THROUGH GEM PORTAL

Sub: Administrative approval and Expenditure sanction for the purchase of LED Wall - reg.

This is to certify that the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate has accorded administrative approval and expenditure sanction of Rs. 11,13,750 /- (Rupees Eleven Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred Fifty Only) for the purchase of LED Wall through the GeM portal.

Yours Faithfully

(C.T Bindu)
Deputy Commissioner

done
5/7/2023

GEXCOM / HQR / Misc

25/2023 HQR S



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
ई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S.PRESS ROAD, KOCHI-682018

E-mail: commradt-cexcok@nic.in Fax: 0484-2397355 Phone: 0484-2391455, 2390404 (PBX)

Date: 09.03.2023

PROCUREMENT THROUGH GEM PORTAL

Sub: Administrative approval and Expenditure sanction for the purchase of 2 nos. of LG 1.5 Ton, 5 Star AC - reg.

This is to certify that the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate has accorded administrative approval and expenditure sanction of Rs. 99,000/- (Rupees Ninety Nine Thousand Only) for the purchase of 2 nos. of LG 1.5 Ton, 5 Star AC through the GeM portal.

(C T Bindu)
Deputy Commissioner (P & V)

Done
06/07/2023

I/10/56/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT

Date: .02.2023

OFFICE ORDER

Sub: Temporary posting in the grade of Head Havaladar- Reg.

Shri. Anil Kumar M.G., Head Havaladar, presently working in Central Tax & Central Excise Headquarters, Kochi, is temporarily posted on a working arrangement basis to Kakkanad Division with immediate effect and until further orders.

Signed by Bindu C T

Date: 13-02-2023 17:40:46

(C.T. Bindu)

Deputy Commissioner (P&V)

To

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned).

Copy submitted to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kakkanad Division.

2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi/ Kakkanad Division.

3. The Superintendent, Headquarters Section/Systems, Central Tax & Central Excise Hqrs, Kochi.

done
6/7/2023

I/93145/2023



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-ESTT

Date: .01.2023

CORRIGENDEM TO ORDER NO. 128/2022 dated 30.12.2022

Sub: Promotion to the cadre of Assistant Sub-Inspector (Weapons)-Reg.

Please refer to the Order No. 128/2022 dated 30.12.2022 on the above subject.

2. In the above referred order, the date mentioned in para 2 may be read as "**13.01.2023**" instead of "13.12.2022" and the date mentioned in para 3 may be read as "**18.01.2023**" instead of "18.12.2022".

Signed by Bindu C T

Date: 02-01-2023 17:35:55

[C.T. Bindu]

Deputy Commissioner [P&V]

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi

done
6/7/2023

I/931453/2023

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
3. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi – for uploading in the website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**
6. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**